HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 1763/2025

Icici Lombard Gic Ltd., Having Its Registered And Head Office At Icici Bank Tower, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai Through Its Authorized Representative Jodhpur Office At First Floor, Plot No. 115-3, Solitaire Building, Sps Road, Pwd Colony, Jodhpur.

----Appellant

Versus

1. Rakesh Kumar S/o Shubhkaran Jat, R/o Bas Dhetarwal, Tehsil Rajgarh, District Churu (Claimant)
2. Ram Swaroop S/o Birbal Ram Jat, R/o 2 Gm Raner, Tehsil Chhatargarh, District Bikaner (Driver)
3. Manish Kumar S/o Shishpal Jat, R/o Ward No.11, Sardarpura Khalsa, Tehsil Rawatsar, District Hanumangarh. (Owner)

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Jagdish Chandra Vyas
For Respondent(s) : -

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

30/07/2025

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी दो सप्ताह में दो प्रति में प्रत्यर्थीगण के पीएफ व नोटिस पेश करें, जो पेश होने पर आगामी छः सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस दो प्रतियों में जारी कर एक प्रति साधारण प्रक्रिया से तथा दूसरी प्रति रजिस्टर्ड डाक से भेजे जाने हेतु विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को दस्ती के रूप में प्रदान की जावे।

स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

यदि अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा अवार्ड राशि में से 5,00,000/—रुपये की राशि पूर्व में जमा करवायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 6 प्रतिशत वार्षिक

ब्याज की दर से मय ब्याज एक माह की अवधि में अधिकरण के समक्ष जमा करवायी जाती है, तो विद्वान मोटरयान दुघर्टना दावा अधिकरण, राजगढ, जिला चूरू (राज.) द्वारा क्लेम याचिका संख्या 112/2021, राकेश कुमार बनाम आईसीआईसीआई लोम्बर्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. व अन्य में पारित निर्णय व अवार्ड दिनांक 04.02.2025 की शेष राशि की वसूली आगामी आदेश तक स्थगित रहेगी। अपीलार्थी बीमा कम्पनी द्वारा उपरोक्तानुसार राशि जमा कराने पर अवार्ड के अनुसार क्लेमेंटस् को राशि अदा कर दी जाये।

क्लेमेंटस् से इस बात की अण्डरटेकिंग ली जाये कि यदि इस अपील का निर्णय अपीलार्थी के पक्ष में होता है तो अपीलार्थी द्वारा जमा करवाई गई उपरोक्त राशि 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से वापस लौटायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने के पश्चात् विद्वान अधिकरण न्यायालय का अभिलेख इस न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

151-GauravG/-